उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) –सदस्य
3. श्री सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
4. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
5. श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) –सदस्य
6. श्री राम सिंह, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार भू–अर्जन, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री एच0के0 चौहान, स्टाफ ऑफिसर, यूपीडा।
9. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त, यूपीडा।
10. श्री अनुप कुमार, प्रबन्धक तकनीकी, यूपीडा।
11. श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
12. श्री एच0एम0 त्रिपाठी, प्रभारी परियोजना निदेशक वन, यूपीडा।
13. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
14. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए।
15. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल), यूपीडा।
16. श्री पी0के0 तिवारी, (सलाहकार विधि), यूपीडा।
17. श्री विनोद लाल दास, ज्येष्ठ खनन अधिकारी, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 33वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.07.2017 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा 32वीं बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.07.2017 को सम्पन्न 32वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल को 32वीं (06.07.2017) बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या एजेण्डा नोट पृष्ठ 13–16 पर अवगत कराया गया जिस पर सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही।

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' से आच्छादित जनंपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं निम्न विवरण/कृत कार्यवाही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गईः–

I. 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है।

II. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का संरेखण प्रदेश के 09 जनपदों यथा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ, मऊ व गाजीपुर से होकर जा रहा है।

उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। बोर्ड की बैठक दिनांक 23.05.2017 के पश्चात् अतिरिक्त भूमि क्रय करने, दर अनुमोदन व अन्य प्रकरण मा0 बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है–

I. आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना

1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में

जनपद–फिरोजाबाद

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0	धारा–4 के अन्तर्गत क्षे0 (हे0) में	लिया गया वास्तविक क्षे0 अतिरिक्त भूमि (हे0)	वर्तमान में अतिरिक्त भूमि (हे0)	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6		7	
1	गुढ़ा/ सिरसागंज	392	0.4290	-	0.0728	0.0728	24.07.2017	
2		394	0.6720	-	0.0438	0.0438		
3				योग		**0.1166**		

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0	परियोजना हेतु सड़क एवं रैम्प प्लाजा की भूमि की आवश्यकता	बैनामा कराये जाने वाला क्षे0 (हे0)	अवशेष भूमि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोसपुर/सिरसागंज	181	0.0900	0.0320	0.0320	0.0580	आबादी प्लाट
2		181/592	0.3900	0.1803	0.1803	0.2097	कृषि भूमि
3		183	0.3650	0.0980	0.0980	0.2670	कृषि भूमि
4		187	0.0850	0.0040	0.0040	0.0810	चकमार्ग
5		189	0.0700	0.0700	0.0700	-	कृषि भूमि
6		190	0.0150	0.0150	0.0150	-	नवीन परती
7		191	0.3800	0.0190	0.0190	0.3610	कृषि भूमि
8		214	0.3500	0.0940	0.0940	0.2560	कृषि भूमि
9		215	0.1350	0.0040	0.0040	0.1310	रास्ता
	योग		1.8800	0.5163	0.5163	1.3637	

जनपद–इटावा

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0 (हे0)	संरेखण को अन्तर्गत लिया गया कुल क्षे0	पूर्व में लिया गया अतिरिक्त क्षे0	अतिरिक्त भूमि का क्षे0	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6		7
	मूंज/इटावा	148	1.0640	0.5221	0.2521	0.2700	
	योग					**0.2700**	
	अगूपुर गोपालपुर/इटावा	438	0.4780	0.0039	-	0.0039	
						0.0039	

क्रमांक	जनपद	ग्राम	गाटा सं0	कुल क्षे0 (हे0) में	पूर्व से अधिग्रहीत/बैनामे का क्षे0)	वांछित अतिरिक्त भूमि का रकबा (हे0)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	S
1	इटावा	दींग	542	0.644	0.424	0.057	
		योग				**0.057**	

जनपद–औरैया

क्रमांक	खातेदार का नाम व पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0	एक्सप्रेसवे में पूर्व से अधिग्रहीत बैनामें का क्षे0	वांछित अतिरिक्त भूमि का क्षे0	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	अतर सिंह पुत्र अजीत निवासीग्राम	67/3	0.3640		0.082	
		67/184	0.1700		0.075	
		183/67	0.0080		-	
					0.157	
2	धारा सिंह पुत्र श्री तेजराम निवासी ग्राम-तुरकपुर यासीन	67/3	0.648		0.178	
		67/184/2	0.002		0.002	
					0.180	
3	बाबू सिंह पुत्र श्री बिहारी नि0 ग्राम उमरैन।	113/2	0.1380		0.015	
4	रामदास पुत्र श्री बिहारी नि0 ग्राम उमरैन।	113/2	0.1380		0.015	
5	योगेश कुमार पुत्र श्री सर्वेश कुमार नि0 ग्राम	124/2	0.075		0.008	
6	श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 सर्वेश कुमार नि0 ग्राम	124/2	0.075		0.008	
7	रामवीर पुत्र श्री हाकिम सिंह नि0 तुरकपुर यासीन	67/3	0.648		0.195	
8	रामेश्वर दयाल पुत्र श्री हनू प्रसाद नि0 ग्राम	68/3	0.009		0.009	
		116/2	0.035		0.035	
		117 m	0.030		0.030	
		123	0.016		0.016	
	योग				0.090	
9	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रमेश चन्द्र नि0	113/2	0.001		0.001	

	ग्राम।	127/2	0.004		0.004	
	योग				0.005	
10	पुत्तू लाल पुत्र श्री दुरगाई नि0 ग्राम उमरैन	124/2	0.018		0.018	
11	जमुना प्रसाद पुत्र श्री पुत्तू लाल नि0 ग्राम	124/2	0.075		0.019	
		125/2	0.249		0.030	
	योग				**0.049**	
	कुल योग				**0.740**	

जनपद–उन्नाव

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	गाटे का कुल क्षे0 (हे0) में	धारा–4 में अधिसूचित/क्रय क्षेत्रफल (हे0 में)	पूर्व में ली गई अतिरिक्त भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय किये जाने हेतु अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में	विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**उन्नाव**	औरास/हसनगंज	1148	0.895	-	-	0.0670	नवीन प्रस्तावित रैम्प हेतु
1	**उन्नाव**	ढोलावा/सफीपुर	87	0.8400	0.7493	-	0.0310	सर्विस रोड में अवरोधों के निस्तारण हेतु
2			232	0.2750	0.2213	0.0107	0.0200	उपरोक्त
		योग					**0.0510**	
	उन्नाव	गहरावा/हसनगंज	410	0.360	0.3100	-	0.0500	सर्विस रोड में अवरोधों के निस्तारण हेतु

2. <u>जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर दर अनुमोदन</u>

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है। तद्नुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को निम्नवत अनुमोदन प्रदान किये गये है–

जनपद-फिरोजाबाद

(क)

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे0) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0) सामान्य भूमि	आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 की चार गुना धनराशि (रू0 प्रति हे0 में) सामान्य भूमि	प्रभावित कृषकों की सं0	सहमत कृषकों की क्रमिक सं0	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आलीपुर	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.14	15.3763	0.0598	20 लाख	80 लाख	07	02	22.05. 2017

(ख)

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षे0	घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रू0 प्रति हे0 में)		प्रभावित कृषकों की सं0	सहमत कृषकों की क्रमिक सं0	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	आबादी के समीप स्थित भूमि	सामान्य भूमि	रोड के किनारे			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सुजनीपुर	सिरसागंज	7.10. 13/30.10. 14	6.2602	0.0402	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	27	05	05.06. 2017

(ग)

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षे0	घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रू0 प्रति हे0 में)		प्रभावित कृषकों की सं0	सहमत कृषकों की क्रमिक सं0	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	आबादी के समीप स्थित भूमि	सामान्य भूमि	रोड के किनारे			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	असलेमपुर नगला कान्हर	सिरसागंज	7.10. 13/30.10. 14	8.5339	0.2164	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	13	09	06.06. 2017

जनपद-उन्नाव

क्रम सं0	ग्राम का नाम	तहसील	नया सर्किल रेट प्रति हे0सामान्य	नये सर्किल रेट के अनुसार चार गुना प्रतिफल की धनराशि	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	सादीपुर	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	28.08.2017
2	रसूलपुर रूरी	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	
3	गढ़ा	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	
4	जोगीकोट	बॅागरमऊ	2000000.00	8000000.00	
5	कबीरपुर	बॅागरमऊ	1800000.00	7200000.00	
6	खम्भौली	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	
7	भगवन्तपुर गोटपाली	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
8	हैबतपुर	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
9	नसीरपुर भीखन	बॅागरमऊ	1800000.00	7200000.00	
10	नेवल	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
11	जगटापुर–प्रथम	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
12	जगटापुर–द्वितीय	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
13	रघुरामपुर	बॅागरमऊ	2200000.00	8800000.00	
14	फतेहपुर खालसा	बॅागरमऊ	3600000.00	14400000.00	
15	गोल्हुवापुर	बॅागरमऊ	1800000.00	7200000.00	
16	बहलोलपुर मुन्तसिल	बॅागरमऊ	1800000.00	7200000.00	
17	देवखरी	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	
18	रसूलपुर मझिगवां	बॅागरमऊ	1400000.00	5600000.00	

19	महराजापुर	बॉगरमऊ	1400000.00	5600000.00	
20	आलमऊ सराय	बॉगरमऊ	1400000.00	5600000.00	
21	सिरधरपुर गैर एहतमाली	बॉगरमऊ	1400000.00	5600000.00	
22	सिरधरपुर एहतमाली	बॉगरमऊ	1400000.00	5600000.00	
23	सहसरांय	बॉगरमऊ	1400000.00	5600000.00	
24	कुरसठ	सफीपुर	3500000.00	14000000.00	
25	गौरियाकला	सफीपुर	1800000.00	7200000.00	
26	नवाबाद ग्रन्ट	सफीपुर	1800000.00	7200000.00	
27	ढ़ोलउवा	सफीपुर	2000000.00	8000000.00	
28	असर्फाबाद	सफीपुर	2000000.00	8000000.00	
29	मटरिया	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
30	अलियारपुर	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	
31	कुरौरा	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
32	पिलखना रसीदपुर	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
33	पिछवाड़ा	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
34	ताला सराय	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
35	शाहपुर तोंदा	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
36	बरादेव	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
37	गहरावां	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
38	मैनी	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
39	हाजीपुर गोसा	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
40	औरास	हसनगंज	3400000.00	13600000.00	
41	इनायतपुर वर्रा	हसनगंज	2500000.00	10000000.00	

42	अटिया	हसनगंज	1900000.00	7600000.00	
43	लोधा टीकुर	हसनगंज	1900000.00	7600000.00	
44	मिर्जापुर अजगांव	हसनगंज	1900000.00	7600000.00	
45	सहदोई	हसनगंज	1900000.00	7600000.00	
46	धानमऊ छहरेटी	हसनगंज	1900000.00	7600000.00	
47	डिपवल	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4:–पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही से विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया एवं उनके सज्ञान में लाया गया कि परियोजना हेतु भूमि क्रय के प्रस्ताव में अबतक कुल 69.23 प्रतिशत की भूमि क्रय की जा चुकी है एवं शेष भूमि क्रय करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। शीघ्र ही लक्षित भूमि का 90 प्रतिशत क्रय कर लिया जाएगा।

कार्यवाही/निर्णयः– उक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्य प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य का अनुमोदन।

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य का अनुमोदन का प्रस्ताव उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया, सदस्यों ने जानना चाहा कि यह परियोजना मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 की घोषणा के अन्तर्गत है, यदि हॉ तो क्या यह प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा विभाग से आया है उक्त जिज्ञासा पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि "उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना है" उक्त पर कार्यवाही की जा रही है, उपरोक्त के क्रम में यूपीडा बोर्ड के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

(क) 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के उपर्लिखित निर्णयों के क्रम में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' हेतु 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इम्पैनल्ड परामर्शियों {कैटेगरी–1(बी)} से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु तैयार संशोधित 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है।

(ख) 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार होने के पश्चात् 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के चिहिन्त संरेखण, परियोजना की रूप–रेखा, अनुमानित लागत, परियोजना का मॉडल इत्यादि के सम्बन्ध में परियोजना हेतु प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही/निर्णयः– उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये प्रस्ताव को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य का अनुमोदन।

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि यह मूल अवधारणा है कि हम लोगो को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे यदि भविष्य में कोई प्रोजेक्ट प्रारम्भ करना है तो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट उपलब्ध रहे प्री–फिजिबिलिटी एक सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाती है जिससे भविष्य में बजट की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाएं प्रारम्भ की जा सके। सडक निर्माण में प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में लगभग 60 हजार रूपयें प्रति किलोमीटर की लागत आती है अगर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस 90 कि0मी0 की है तो अनुमानित 50–55 लाख रूपये (जी0एस0टी0) के अतिरिक्त व्यय आयेगा।

उपरोक्त के क्रम में यूपीडा बोर्ड के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

(क) 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के उपर्लिखित निर्णयों के क्रम में 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' हेतु 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इम्पैनल्ड परामर्शियों {कैटेगरी–1(बी)} से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु तैयार संशोधित 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है।

(ख) 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार होने के पश्चात् 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' के चिहिन्त संरेखण, परियोजना की रूप–रेखा, अनुमानित लागत, परियोजना का मॉडल इत्यादि के सम्बन्ध में परियोजना हेतु प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' एवं 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' परियोजना पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास कार्य।

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' एवं 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' परियोजना पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास कार्य के सम्बन्ध में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि–

मा0 मुख्यमंत्री जी आदेश दिया है, कि यूपीडा का कार्य एक्सप्रेसवे बनाना तो है साथ ही इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना भी हमारा कार्य है। अभी तक इस कार्य को विभाग द्वारा नहीं प्रारम्भ किया गया था, चूंकि यूपीडा एक इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण है, अतः आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन दोनो एक्सप्रेसवे पर मुख्य सचिव, द्वारा आदेश दिये गये है एवं विभागीय मंत्री द्वारा भी बैठक में निर्देश दिये गये है कि विभाग एक्सप्रेसवे के दोनो ओर बड़े औद्योगिक क्षेत्र को बनाये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे इस कार्य हेतु इसकी भी प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा लैण्ड बैंक का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराय गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 13.09.2017 में यह भी निर्णय लिया गया था कि पहले, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समयबद्ध रूप से इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने हेतु 'प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार करायी जाये तथा 'प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के उपरान्त डी. पी.आर. तैयार करायी जाये। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु बाद में पृथक रूप से विचार किया जाये। बैठक में इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने के भी निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये यूपीडा निदेशक मण्डल की अनुमति निवेदित है।

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8 अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को निम्न प्रस्ताव से अवगत कराया गयाः–

8.1 संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	एक वर्ष	14.07.2017	1120 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दि0 14.07.2017
2.	श्री विनोद लाल दास	ज्येष्ठ खनन अधिकारी	06 माह	17.08.2017	1524 / यूपीडा / 718 / 17 / अधि0 दि0 17.08.2017
3	श्री बंशीधर सीताराम दुबे	सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल)	06 माह	29.08.2017	1633 / यूपीडा / 776 / 17 / अधि0 दि0 28.08.2017
4	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी, डी सी.ई.ओ.	06 माह	14.09.2017	1879 / यूपीडा / 795 / 17 / अधि0 दि0 14.09.2017

8.2 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री के0 के0 गुप्ता	सलाहकार (वित्तीय संस्थान) रिटेनरशिप पर	25.06.2017 तक	06 माह	25.12.2017 तक	1176/यूपीडा/424/15/ अधि0 दि0 18.07.2017	पार्टटाइम सलाहकार से पूर्णकालिक सलाहकार के पद पर परिवर्तित करते हुये सेवा विस्तार किया गया।
2	श्री हेमन्त कुमार चौहान	स्टाफ ऑफीसर (टेक0)सी0ई0ओ0	11.08.2017 तक	30.10.2017 तक	30.10.2017 तक	1180/यूपीडा/434/15/ अधि0 दि0 18.07.2017	
3	श्री सन्त प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक (प्रशासन)	09.06.2017 तक	06 माह	09.12.2017 तक	691/यूपीडा/248/14/ अधि0 दि0 05.06.2017	
4	श्री योगेश नाथ लाल	स्पेशल फील्ड आफीसर	22.06.2017	06 माह	22.12.2017 तक	728/यूपीडा/375/14/ अधि0 दि0 07.06.2017	
5	श्री श्याम शंकर शुक्ला	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	11.08.2017 तक	06 माह	11.02.2018 तक	1177/यूपीडा/281/14/ अधि0दि0 18.07.2017	
6	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	26.06.2017	06 माह	25.12.2017 तक	940/यूपीडा/247/14/ अधि0 दि0 28.06.2017	
7	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	31.08.2017 तक	एक वर्ष	31.08.2018 तक	1577/यूपीडा/586/16/ अधि0दि0 22.08.2017	
8	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	27.07.2017 तक	06 माह	27.01.2018 तक	907/यूपीडा/519/15/ अधि0 दि0 23.06.2017	
9.	श्री भगौती प्रसाद	आडीटर/लेखाकार	06.07.2017 तक	06 माह	06.01.2018 तक	906/यूपीडा/497/15/ अधि0 दि0 23.06.2017	
10.	श्रीमती कंचन तिवारी	आडीटर/लेखाकार	13.07.2017 तक	06 माह	12.01.2018 तक	942/यूपीडा/503/15/ अधि0 दि0 28.06.2017	
11	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.06.2017 तक	06 माह	22.12.2017 तक	842/यूपीडा/243/14/ अधि0 दि0 19.06.2017	
12	श्री रमेश चन्द्र वेशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2017 तक	06 माह	31.12.2017 तक	729/यूपीडा/318/14/ अधि0 दि0 07.06.2017	
13	श्री वागीश कुमार श्रीवास्तव	डिस्पैचर	12.07.2017 तक	06 माह	12.01.2018 तक	908/यूपीडा/490/15/ अधि0 दि0 23.06.2017	
14	श्री कालीचरन	डाकरनर	01.08.2017 तक	06 माह	01.02.2018 तक	1181/यूपीडा/406/15/ अधि0 दि0 18.07.2017	
15	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	20.07.2017 तक	06 माह	20.01.2018 तक	1150/यूपीडा/391/15/ अधि0 दि0 17.07.2017	

पी0आई0यू0 – 5
यूपीडा, लखनऊ

16	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर पी०आई०यू० – 4 यूपीडा, कन्नौज	30.07.2017 तक	06 माह	30.01.2018 तक	1194 / यूपीडा / 401ए / 15 / अधि0 दि0 19.07.2017	
17	श्री वीरेन्द्र कुमार बैजल	लेखाकार कम कैशियर पी०आई०यू० – 1 यूपीडा, आगरा	28.07.2017 तक	06 माह	28.01.2018 तक	1149 / यूपीडा / 400 / 15 / अधि0 दि0 17.07.2017	
18	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर पी०आई०यू० – 2 यूपीडा, शिकोहाबाद	30.07.2017 तक	06 माह	30.01.2018 तक	1241 / यूपीडा / 402 / 15 / अधि0 दि0 20.07.2017	

8.3 **प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती हेतु टेण्डर के माध्यम से सेवाप्रदाता के रूप में मेसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ के पक्ष में प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना :–**

प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश लद्यु उधोग निगम लि0 द्वारा की जा रही थी, जिनका अनुबन्ध दिनांक 30.06.2017 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप टेण्डर प्रकिया द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 31.03.2018 तक मेसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज प्रा0लि0 के पक्ष में यूपीडा के पत्रांक 972 / 15 / 525 दिनांक 30.06.2017 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्मिकों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। अतः मेसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज प्रा0लि0 के पक्ष में प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि यूपीडा में रेग्यूलर स्टॉफ (नियमित कर्मी) बहुत कम है, विभाग अधिकांशतः आउटसोर्सिंग से कर्मचारी ले रहे है। पहले से जो स्टॉफ संविदा पर कार्यरत था, उनकी सेवा में विस्तार कर कार्य कराया जा रहा है, प्रयास है कि अधिकांश कर्मचारी आउटसोर्सिंग से लिये जाये इस बार टेंडर कर के आउटसोर्सिंग हेतु एजेन्सी का चयन किया गया है जिससे काफी अच्छी दरें प्राप्त हुई है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

प्रस्ताव 8.4 एजेण्डा नोट पृष्ट–45 के सम्बन्ध में में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश राज्य सडक सुरक्षा परिषद की दिनांक 28.06.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर 24 घण्टे गश्त की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि इन पर मार्ग दुर्घटना होने की दशा में घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जा सकें। उक्त कार्य हेतु 26 इनोवा वाहन कय किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम से 120 भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें लेकर तथा 10 इनोवा वाहन किराये पर लेकर पेट्रोलिंग कार्य दिनांक 12.08.2017 से कराया जा रहा है, उनके द्वारा नियमित रूप से एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग की जा रही है, इसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। जिससे दुर्धनाओं में कमी आयी है, कार्य की सफलता को देखते हुये टोलिंग की व्यवस्था में भी एक्स सर्विस मैन लगाये जाने पर विचार किया जाएगा,

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 9 एक्सप्रेसवे परियोजना में पर्यावरणीय क्यीयरेन्स।

एक्सप्रेसवे परियोजना में पर्यावरणीय क्यीयरेन्स के प्रस्ताव पर विशेष कार्याधिकारी वन द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सभी तरह के क्यीयरेन्स प्राप्त कर लिये गये है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्चारमेंटल क्यीयरेन्स हो गया है भारत सरकार के मार्ग निर्देशो के अनुसार भारत सरकार से क्यीयरेन्स के लिये आनलाइन प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है। उ0प्र0 के स्थानीय वन अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है, अगले चरण में जिन–जिन जनपदों की भूमि आ रही होती है, उनके डी0ए0ओ0 को एवं डी0एम0 को भेजा गया है एक सप्ताह में उनके उत्तर प्रतिक्षित है, उसके बाद एक मॉह का समय दिया जाता है, जिसमें वे प्रस्ताव अपने कन्जवेटियरस को भेजेंगे कन्जवेटर की संस्तुति के बाद प्रकरण नोड़ल ऑफिसर के पास आयेगा जिसके उपरान्त यह प्रस्ताव राज्य सरकार से भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रगति से अवगत होते हुये कार्य प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 10–मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एजेण्डा बिन्दु–10 पृष्ठ 47 के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद खण्ड पीठ के निस्तारित वादों के विवरण अवलोकनीय हैइस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि अधिकांश वादों मे प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किये जा चुके है, इलाहबाद खण्ड पीठ में 7 एवं लखनऊ खण्ड पीठ में 5 नये वाद दाखिल हुये है, जिनमें शीघ्र ही एक सप्ताह में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सभी सदस्यों को यूपीडा में प्रचलित वादों की अद्यतन सूची भी उपलब्ध कराई गई। अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में नये वाद दाखिल हुये है एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सभी वादों में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सलाहकार विधि को निर्देशित किया कि यदि किसी प्रकरण में शासन स्तर प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, तो उसे पत्र द्वारा शासन को याचिका की प्रति एवं बिन्दुवार आख्या के साथ यथाशीघ्र पत्र द्वारा प्रेषित कर दिया जाये।

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रगति से अवगत होते हुये कार्य प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 11– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनो ओर बाउन्ड्री पिलर लगाये जाने के कार्य का अनुमोदन।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि क्रय की जा रही हैं, जिसकी कीमत लगभग 6 हजार करोड़ रूपये होगी। इस भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है, चुकीः अभी फसल (धान) की कटाई के बाद नई फसल की लगने लगेगी एवं भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में खाली कराना कठिन कार्य हो जाता है,

यूपीडा को राजस्व विभाग एवं डी0एम0 की तरफ से यह सुझाव आया था कि अतिक्रमण से बचाने के लिये बाउन्ड्री पिलर अवश्य लगवा दिया जाए। अतः एजेन्सी के माध्यम से पिलर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जाना है, यह कार्य ई–टेंड'रिंग के माध्यम से कराया जाएगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा निम्न प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गयाः–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का लगभग 70% क्रय किया जा चुका है जिसे अतिक्रमण से बचाने हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आर0 ओ0 डब्लू के दोनो किनारो पर 50–50 मी0 के अन्तराल पर एक्सप्रेसवे की पूर्ण लम्बाई में पत्थर के बाउन्ड्री पिलर लगाने की आवश्यकता है। यह पिलर इन्डियन रोड कांग्रेस के आई0आर0सी0 25–1967में प्राविधानित विशिष्टियों/ड्राईंग के अनुसार होंगे।

बाउण्ड्री पिलर लगाने के कार्य की आगणित लागत 230.83 लाख है। बाउन्ड्री पिलर लगवाने का कार्य आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना का पी०आई०यू०–5, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, के द्वारा निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित हैः–

1 कार्य की निविदायें ई–टेन्डरिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र T2 (40लाख से अधिक लागत के कार्यो हेतु) पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जायेंगी।
2 प्राप्त निविदाओं का तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन कर पी०आई०यू०–5 द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रकरण यूपीडा मुख्यालय को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
3 निविदा स्वीकृति के पश्चात पी०आई०यू०–5 द्वारा ड्राफ्ट अनुबन्ध तैयार कर हस्ताक्षर हेतु यूपीडा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
4 कार्य में कोई भी विचलन मुख्यालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
5 कार्य का पर्यवेक्षण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पी०आई०यू०–5, लखनऊ एवं परियोजना विकास परामर्शी आई0 आई0डी0 सी0 लि0 द्वारा भी किया जायेगा।
6 कार्य संतोष जनक पाये जाने की दशा में पी०आई०यू०–5 द्वारा कार्य के देयक निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार कर भुगतान की संस्तुति सहित यूपीडा मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे एवं प्रत्येक देयक पर प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि "देयक में दर्शायी गयी कार्य की मात्रा सही है एवंकार्य की गुणवत्ताविशिष्टियों के अनुरूपहैअतःभुगतान की संस्तुति की जाती है"। कार्य का भुगतान मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा किया जाएगा।
7 कार्य को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने, कार्य सम्पादित कराने तथा कार्य के भुगतान व विचलन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 12–पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु आवश्यक बालू/मौरंग व पत्थर आदि हेतु यूपीडा द्वारा खनन के पट्टे लिये जाने व दो खान अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर तैनाती के सम्बन्ध में।

एजेण्डा बिन्दु 12 पृष्ठ–55 के सम्बन्ध में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बालू/मौरंग व स्टोन ग्रिट आदि के खनन हेतु यूीपडा को पट्टे दिये जाने है, जिसके लिये दो खनन अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की जानी है। मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि यूपीडा को बालू के पट्टे आवंटित हो गये है, स्टोन ग्रिट के पट्टे आवंटित करने के लिये शीघ्र ही मॉग प्रेषित की जाएगी। मुख्य कार्यपालक

अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया की पूरे देश में पहली बार किसी एजेन्सी को राज्य सरकार द्वारा पटटा मिला है, यह तथ्य सदस्यों के संज्ञान में लाना है कि इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 13–14 हजार करोड रूपये की लागत आती है। सडक निर्माण में 40–45 प्रतिशत लागत गिटटी, बालू और मिट्टी की होती है। अगर हम खुद अपना खनन करते है और रॉयल्टी सीधे सरकार के खाते में जमा करते है तो इससे राज्य को राजस्व का फायदा भी होगा। कान्ट्रेक्टर को कार्य की सुविधा रहेगी। इन्ही कारणों से इस प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यूपीडा के खनन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारियों को भेजा जा रहा है। यह पट्टे राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं लोक निर्माण को भी दिये जा रहे है। इस सम्बन्ध में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्न प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया:–

एक्सप्रेसवे के निर्माण में उपखनिजों जैसे बालू/मौरंग व स्टोन ग्रिट की आपूर्ति अनवरत रूप से होती रहे, इस हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपरोक्त सामग्रियों के पट्टे यूपीडा द्वारा स्वयं के नाम पर लेकर खनन हेतु परियोजना के सम्बन्धित ठेकेदारो के उपलब्ध करा दिये जायें तथा सामग्रियो की रॉयल्टी यूपीडा द्वारा सीधे सरकार के राजस्व मद में जमा करा दी जाए। इस से एक ओर अच्छी गुणवत्ता की सामग्रियों की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा साथ ही सरकार को राजस्व की हानि भी नहीं होगी। सामग्रियों की सुनिश्चित आपूर्ति होने की स्थिति में परियोजना के निर्माण की निविदायें भी कम दरों पर प्राप्त होने की सम्भावना है।

उपरोक्त विवरण के अनुरूप मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदन के पश्चात बालू/मौरंग हेतु खनन क्षेत्र यूपीडा के पक्ष में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 2163/86–2017–201/2014टीसी दिनांक 11.09.2017 से आरक्षित कर दिये गये है। पत्थर के खनन क्षेत्रों को यूपीडा के पक्ष में आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव खनिकर्म विभाग को प्रेषित किया जाना है। खनन क्षेत्रों के सर्वेक्षण, खनन हेतु योजना तैयार कराने, पर्यावरण स्वच्छता का अनुमोदन प्राप्त करने तथा खनन पर यूपीडा के नियंत्रण हेतु इस कार्य में दक्ष दो खान अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी। यह खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना अथवा सेवानिवृत्त खान अधिकारियों को संविदा पर लिया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

अनुरोध है कि बोर्ड उपरोक्त विवरण के अनुसार बालू/मौरंग व स्टोन ग्रिट के खनन क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार यूपीडा द्वारा अपने पक्ष में आरक्षित कराने, आरक्षित खनन क्षेत्र में खनन करने, खनन हेतु आरक्षित किये गये खनन क्षेत्र परियोजना से सम्बन्धित ठेकेदारों/एन0एच0ए0आई0/लो0नि0वि0 या अन्य सरकारी विभागों को खनन हेतुउपलब्ध कराने, दो खान अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर रखे जाने का अनुमोदन करना चाहे तथा उपरोक्त सभी कार्यवाहियों हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत करना चाहे।

कार्यवाही/निर्णय:– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 13–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे बनाई जानी है, इसके संरेखण में राष्ट्रीय राज्यमार्ग–39, राज्मार्ग–21 एवं राष्ट्रीय राज मार्ग–234 आता है। यह पूर्वनिर्मित सड़क है इसे प्रवेश नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक्सप्रेसवे की श्रेणी मे नहीं आयेगी। एक अन्य संरेखण पिण्डारी से कोंच–उदी–बाह से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। दोनो प्रस्तावो के लिये प्री–फीजिबीलिटी अध्ययन रिपौर्ट तैयार कराई जायेगी। दोनो संरेखणो का विवरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

1. झॉसी से पनवाड़ी, उरई, औरैया होते हुये तिर्वा तक लगभग 322 कि0मी0 संरेखण में राज्य मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों आते हैं । संरेखण का वर्तमान विवरण निम्न प्रकार है:–

मार्ग खण्ड	मार्ग का प्रकार	लम्बाई (किमी०)	टिप्पणी
झॉसी–पनवाडी	राष्ट्रीय राजमार्ग–39	81	चार लेन चौड़ी करण हेतु स्वीकृत है
		02	मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में पड़ता है एवं चार लेन चौड़ी करण हेतु स्वीकृत है।
		07	मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में पड़ता है एवं 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ स्वीकृत है।
		24	2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ स्वीकृत है।
पनवाडी से बेला	राज्यमार्ग–21	81	04–लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में है। इसके अन्तर्गत मार्ग को 2 लेन से 4 लेन चौड़ा किया जायगा एवं यातायात गणना के अनुसार मार्ग की सतह को सुदृढ़ किया जायगा।
		103	मार्ग 2 लेन चौड़ाई का निर्मित है।
बेला से तिर्वा (आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे)	राष्ट्रीय राजमार्ग–234	06	मार्ग 04 लेन चौडाई का निर्मित है।
		18	राज्य सरकार द्वारा त्वरित योजना के अन्तर्गत 04 लेन चौड़ा बनाया जा रहा है, परन्तु प्रगति नगण्य है।
	योग	322	

प्रस्तावित मार्ग की पूरी लम्बाई को 04 लेन चौड़ा किये जाने हेतु अनुमानित लागत का विवरणः–

1. झॉसी से पनवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग–39 की अवशेष लम्बाई 31 किमी0 – 240 करोड
2. पनवाडी से बेला राज्यमार्ग–21 की अवशेष लम्बाई 103 किमी0 (2 दीर्घ सेतुओं सहित) – 1450 करोड
3. बेला से तिर्वा राष्ट्रीय राजमार्ग–234 की लम्बाई 18 किमी0 –120 करोड

योग रू0 1810 करोड

2– रानी पक्षालिका सिंह, मा0 विधायिका, विधानसभा क्षेत्र–बाह, आगरा के मा0 मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र के कम में राष्ट्रीय राजमार्ग–27 (कानपुर–झॉसी मार्ग) पर स्थित उरई के पास पिन्डारी से कोंच, कमेसर, माधवगढ, जगम्मनपुर, पचनदा, हनुमन्तपुर, चकरनगर, उदी, नाहटौली, बाह, खेड़ा, देवीदास, बटेश्वर की खांद, रपड़ी एवं नसीरपुर होते हुए नगला रामा (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) तक ***"बुन्देलखण्ड 04 लेन (एक्सपेन्डेबल टू 06 लेन) प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेसवे"*** प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 06 लेन चौड़ी संरचनाओं के निर्माण का प्राविधान है। एक्सप्रेसवे की सम्पूर्ण लम्बाई में (रेल ओवर ब्रिज तथा दीर्घ सेतु स्थलों को छोड़कर) एक तरफ सर्विस रोड का निर्माण भी किया जायेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की अनुमानित ***लम्बाई 181 किमी0*** होगी एवं इस संरेखण में कमशः सिंधु नदी, चम्बल नदी एवं यमुना नदी पर नये सेतुओं की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का उद्गम स्थल कानपुर–झॉसी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग–27 पर स्थित पिन्डारी से होगा जो झॉसी से लगभग 90 किमी0 की दूरी पर स्थित है।यह एक्सप्रेसवे जनपद–झॉसी, जालौन, इटावा, शिकोहाबाद एवं आगरा होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा से 50 किमी0 पूर्व जुड़ेगा। इसके बन जाने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली से जुड जायेगा।

संरेखण का वर्तमान विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमश :

मार्ग खण्ड	लम्बाई (किमी)	मार्ग की लेपित सतह की वर्तमान चौड़ाई (मी0)	मार्ग का प्रकार
पिन्डारी से उदी	123	3.50	अन्य जिला मार्ग / ग्रामीण मार्ग
उदी से नहटौली	34.5	7.00	प्रमुख जिला मार्ग
नहटौली से बाह	4.8	10.50	राज्यमार्ग
बाह से बटेश्वर	8.3	3.50	ग्रामीण मार्ग
बटेश्वर से नगला रामा (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तक)	10.3	7.00	प्रमुख जिला मार्ग
योग	181.0		

एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागतः–

सिविल निर्माण कार्य की लागत – रू0 5,068 करोड़
भूमि अधिग्रहण की लागत – रू0 1263 करोड़
3 दीर्घ सेतुओं (सिन्ध, चम्बल एवं यमुना) की लागत – रू0 500 करोड

परियोजना की कुल सम्भावित लागत रू0 6,831.00 करोड़ होगी।

झॉसी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने हेतु वर्तमान में झांसी–ग्वालियर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 होते हुये नई दिल्ली तथा झॉसी–पिड़ारी–उरई–भोगनीपुर–इटावा–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 519 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 19 होते नई दिल्ली जाने हेतु मार्ग उपलब्ध हैं। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को किये जाने की सम्भावना नही है।इस एक्सप्रेसवे मार्ग के बन जाने से बुन्देलखण्ड का पिछड़ा क्षेत्र सुगम एवं तीव्रगति एक्सप्रेसवे के द्वारा आगरा पर्यटन स्थल होते हुए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जुड़ जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे", के निर्माण के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 13.09.2017 में परियोजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

1. मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प के चयन के सम्बन्ध में परामर्शी के माध्यम से प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट तत्काल तैयार करा ली जाये।
2. प्री फिजीबिलिटी तैयार करने हेतु भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इम्पैनल्ड परामर्शियों से प्रस्ताव प्राप्त कर परामर्शी का चयन कर लिया जाये तथा प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट 03 माह में तैयार करवाकर अग्रेतर निर्णय हेतु प्रस्तुत कियाजाये।
3. यह भी निर्णय लिया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के विकास हेतु मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
4. मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्री फिजीबिलिटी अध्ययन के लिये परामर्शी के चयन हेतु दिनांक 19.09.2017 को परामर्शी मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई एवं दिनांक 23.09.2017 को परामर्शी के चयन हेतु MoRTH इम्पैनल्ड परामर्शियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए निविदा वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त एक्सप्रसेवे से सम्बन्धित कार्यवाही निदेशक मण्डल के सज्ञांन हेतु प्रस्तुत किया।

कार्यवाही / निर्णयः– उपरोक्त कार्यवाही से अवगत होते हुये प्री–फिजिबिलिटी अध्ययन हेतु परामर्शी के चयन पर सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 14–आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के चेंज ऑफ स्कोप का अनुमोदन।

एजेण्डा बिन्दु–14 एजेण्डा नोट पृष्ठ 58–60 पर मुख्य अभियन्ता द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की संरक्षा/सुरक्षा, स्थलीय आवश्यकता तथा कार्य के तकनीकी पहलुओं के दृष्टिगत कुछ छोटे–छोटे कार्य Change of Scope के तहत कराये गये है, जैसे:– एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु तैनात किये गये पुलिस वाहनों की निर्धारित स्थलों पर पार्किंग हेतु क्रश बैरियर, वाहनों की गति को नियंत्रित करने हेतु थार्मोप्लास्टिक पट्टियों का कार्य तथा स्थलीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सर्विस रोड का कार्य।

प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव द्वारा पृच्छा की गई कि कुछ स्थानों पर बरसात से कटाव के स्थिति पाई गई है, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे के 6 मीटर से ऊचे भाग में किनारों की कटान से संरक्षा हेतु स्टोन पिचिंग का कार्य एवं 6 मीटर से नीचे भाग में किनारों की कटान से संरक्षा हेतु टर्फिंग के अंतर्गत घास लगाने का कार्य कराया गया है। घास जमने पर किनारों का कटान से बचाव होगा। प्रारम्भ में बरसात से कुछ स्थानों कटान हुआ था जिसे ठीक करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर रेन कटिंग हो रही है, उन्हें भी तुरंत ठीक कराया जाए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इसमें पुलिस वाहनों की पार्किंग, थर्मो प्लास्टिक की पट्टियों, कुछ स्थानों पर सर्विस रोड के कार्य यथाआवश्यकता कराये गये है, कुछ स्थानो पर ड्रेन के निर्धारित स्लोप भी स्थलीय आवश्यकता के अनुसार कम कराया गया है। इस प्रकार बहुत छोटे–छोटे कार्य चेंज ऑफ स्कोप में आते है। सदस्यों द्वारा यह जिज्ञासा कि गई की चेंज ऑफ स्कोप के कार्यों का अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया जाना संभव है, इस पर उन्हें अवगत कराया गया कि चेंज ऑफ स्कोप के छोटे–छोटे कार्यों का अनुमोदन पूर्व मे भी निदेशक मण्डल से कराया गया था और ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में निम्न प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

On the demands/requirements of local villagers/populace, traffic safety requirements and other requirements of site and various technical aspects encountered from time to time in the construction of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway, certain additional works are to be executed under Change of Scope for which Authority's Engineer has issued/ is to issue Change of Scope notices (CoS) under Article 13 of Contract Agreement, to the Contractors as under. There additional works were not included in the list of Change of Scope (CoS) works that were approved by **the Board** in its meeting dated 23-05-2017:-

Sl. No.	Description of Item	Requirement	CoS Notice Issued/Not Issued	COS Notice Letter Reference	Date of Issue
	Package-1				
1	Making Police Vehicle Parking places by fixing MBCB at Structure	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3018	28-06-2017
2	Making Strips of thermoplastic paint across the MCW of Expressway as speed dampeners.	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3274	12-08-2017
3	Construction of Service Road (Positive and Negative both)	7.5m Wide SR in 0.463Km in lieu of 3.75m SR in 1.062Km	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3317	19-08-2017
4	For providing W-Beam Metal Crash Barrier along Median	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3410	31-08-2017
5	Reduction in minimum permissible gradient of drain to 0.1%	Technical Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3444	07-09-2017
	Package-2				
1	Making Police Vehicle Parking places by fixing MBCB at Structure	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3018	28-06-2017
2	Construction of 276m additional service road for providing connectivity to Nagla Khunde near 89+900	Local/Site Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3154	24-07-2017
3	Construction of 10 bedded Trauma Centre in the space available at each of the Wayside Amenities areas	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3218	04-08-2017
4	Making Strips of thermoplastic paint across the project expressway as speed dampeners.	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3274	12-08-2017
5	Construction of 4.5x2.0m Box Culvert in place of 3.0x3.0m Box Culvert on Service Road at 85+956	Technical Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3311	19-08-2017
6	Change of wing wall design due to land constrains	Technical Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3401	30-08-2017
7	For providing W-Beam Metal Crash Barrier along Median	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3410	31-08-2017
8	Reduction in minimum permissible gradient of drain to 0.1%	Technical Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3444	07-09-2017

Sl. No.	Description of Item	Requirement	CoS Notice Issued/Not Issued	COS Notice Letter Reference	Date of Issue
9	Construction of RE Wall in some portion of Interchange Loop at 73+401 due to non availability of land in village Bachhela Bachheli	Non availability of land	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3440	07-09-2017
	Package 3				
1	Making Police Vehicle Parking places by fixing MBCB at Structure	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3018	28-06-2017
2	Making Strips of thermoplastic paint across the project expressway as speed dampeners	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3274	12-08-2017
3	For providing W Beam Metal Crash Barrier along Median	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3410	31-08-2017
4	Reduction in minimum permissible gradient of drain to 0.1%	Technical Requirement	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3444	07-09-2017
5	Change of Scope for Construction of slip road at the crossing of Chhibramau Saurikh Etwakatra road and Agra Lucknow Expressway	Local/Site Requirement	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3478	18-09-2017
	Package 4				
1	Making Police Vehicle Parking places by fixing MBCB at Structure	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3018	28-06-2017
2	Construction of 10 bedded Trauma Centre in the space available at each of the Wayside Amenities areas	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3238	04-08-2017
3	Making Strips of thermoplastic paint across the project expressway as speed dampeners	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3274	12-08-2017
4	For providing W Beam Metal Crash Barrier along Median	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3410	31-08-2017
5	Reduction in minimum permissible gradient of drain to 0.1%	Technical Requirement	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3444	07-09-2017
	Package 5				
1	Connecting Expressway to cross road at Auras	Local/Site Requirement	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/2920	12-06-2017
2	Making Police Vehicle Parking places by fixing MBCB at Structure	Safety of traffic	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16 17/3018	28-06-2017
3	Making Strips of thermoplastic paint	Safety of	Issued	AYESA AARVEE JV/A 1/16	12-08-2017

SL No.	Description of Item	Requirement	CoS Notice Issued/Not Issued	COS Notice Letter Reference	Date of Issue
	across the project expressway as speed dampeners.	Traffic		17/3274	
4	For providing W-Beam Metal Crash Barrier along Median	Safety of Traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3410	31-08-2017
5	Reduction in minimum permissible gradient of drain to 0.1%	Technical Requirement	Issued	AYESA-AARVEE-JVIA-L/16-17/3444	07-09-2017

कार्यवाही/निर्णयः– चेंज ऑफ स्कोप के प्रस्ताव को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 15– आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया कि परियोजना का 96.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया है कि कल कार्य प्रगति की समीक्षा की गई थी, पैकेज –3 में 7 अक्टूबर तक प्रोविजनल क्योयरेन्स हो जाएगी एवं 7 नवम्बर तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। पैकेज–4 एवं पैकज–1 का प्रोविजनल कम्पलीशन 15 नवम्बर तक हो जाएगा एवं 15 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा इसी प्रकार पैकेज–2 पैकेज कम्पलीशन 30 नवम्बर तक है एवं कार्य 30 दिसम्बर तक पूर्ण हो जाएगा। पैकेज–5 जो एल0एन0टी का पैकेज है इसमें अभी समय लग रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री चाहते है कि एक्सप्रेसवे पर टोलिंग प्रारम्भ कर दिया जाए, इस लिये अगले 10 दिनों में 30 सितम्बर 2017 से टोल का ट्रायल का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा और आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से शून्य रूपये की टोल पर्ची जारी की जायेगी, जो लखनऊ पर कलेक्ट कर ली जाएगी। इस प्रकार तकनीकी रूप से टोल कलेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। अभी टोल नोटिफाइड नहीं है, इस लिये टोल कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे इस रूट पर चलने वाली गाडियों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। इण्डियन टोल एक्ट, 1951 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। बोर्ड द्वारा निम्न प्रस्ताव पर विचार किया गया.–

आगरा-लखनऊ प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना

क्र0 सं0	विवरण	निर्माणकर्ता का नाम	अद्यतन प्रगति	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	आगरा से फिरोजाबाद (ग्राम-गुढा)	मै० पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि०	95.50%	27-01-2018
2	फिरोजाबाद (ग्राम-गुढा) से इटावा (ग्राम-मूंज)	मै० एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	93.12%	22-03-2018
3	इटावा (ग्राम-मूंज) से कन्नौज (ग्राम-नरन्ऊ) तक	मै० एन०सी०सी० लि०	99.25%	27-01-2018
4	कन्नौज (ग्राम-नरन्ऊ) से उन्नाव (ग्राम -	मै० एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	98.71%	27-01-2018

	नेवल)			
5	उन्नाव (ग्राम - नेवल) से लखनऊ (ग्राम - सरोसा-भरोसा)	मे० एल० एण्ड टी० लि०	96.06%	05-02-2018

परियोजना के अन्तर्गत सिविल निर्माण कार्यों की अनुबन्धित लागत ₹ 9055.22 करोड़ है एवं कार्य की प्रगति **96.53 प्रतिशत** है।

Progress of major Balance works All packages

Item	Unit	Scope	Balance on 20-03-2017	Executed since 20-03-2017	Balance Work as on 22-09-2017	Expected Date of Completion
Toll Plaza	Nos.	2	2	-	2	31-10-2017
Ramp Plaza	Nos.	58	58	2	56	30-11-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	16	11	2	9	31-10-2017
Road Signage	Nos.	10,464	8,148	7,075	1,073	31-10-2017
Rain Water Harvesting	Nos.	1,217	1,169	141	1,028	25-01-2018
Storm Water Drain	3-Lane km	552.27	551.07	116.13	434.94	25-01-2018
Electric Poles	No. of Poles	4,342	4,320	3,056	1,264	31-10-2017
B.C. In Service Road	km	306.62	154.20	117.02	37.18	31-10-2017

एक्सप्रेसवे पर लखनऊ व आगरा के पास क्रमशः 01-01 टॉल प्लाजा निर्माणाधीन है। एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों से वाहनों के एक्सप्रेसवे पर आवागमन हेतु प्रवेश/ निकासी के लिये 16 स्थानों पर इण्टरचेंज का निर्माण किया गया है तथा 58 रैम्प प्लाजा का निर्माण प्रगति में है। उक्त कार्य माह नवम्बर 2017 के अन्त तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ताकि माह जनवरी 2018 से एक्सप्रेसवे पर टॉल की वसूली प्रारम्भ करायी जा सके।

एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिये जनपद मैनपुरी, इटावा, कानपुर तथा उन्नाव में प्रत्येक स्थल पर एक-एक वे-साइड एमिनिटीज (कुल-04) विकसित किये जा रहे हैं जहां खान-पान, टॉयलेट, डीज़ल/ पेट्रोल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी। वे-साइड एमिनिटीज स्थल का विकास माह दिसम्बर 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। समस्त वे-साइड एमिनिटीज स्थलों पर टॉयलेट एवं पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।

Progress of Major balance Works

Package-1

Item	Unit	Scope	Balance on 20-03-2017	Executed since 20-03-2017	Balance Work as on 22-09-2017	Expected Date of Completion
Toll Plaza	Nos.	1	1	-	1	30-09-2017
Ramp Plaza	Nos.	8	8	-	8	31-10-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	3	2	-	2	31-10-2017

Road Signage	Nos.	1,771	1,731	1,711	20	30-09-2017
Rain Water Harvesting	Nos.	220	172	38	134	25-01-2018
Storm Water Drain	3-Lane km	111.99	111.99	26.07	85.92	25-01-2018
Electric Poles	No. of Poles	758	758	683	75	30-09-2017
B.C. In Service Road	km	53.42	12.73	10.01	2.72	31-10-2017

ge-2

Ramp Plaza	Nos.	27	27	-	27	30-11-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	5	5	-	5	20-10-2017
Road Signage	Nos.	2,495	2,465	1,788	677	10-10-2017
Rain Water Harvesting	Nos.	269	269	-	269	30-11-2017
Storm Water Drain	3-Lane km	124.00	124.00	9.94	114.06	15-11-2017
Electric Poles	No. of Poles	1,732	1,710	1,156	554	15-10-2017
B.C. In Service Road	km	60.52	57.92	49.85	8.07	20-10-2017

ge-3

Item	Unit	Scope	Balance on 20-03-2017	Executed since 20-03-2017	Balance Work as on 22-09-2017	Expected Date of Completion
Ramp Plaza	Nos.	4	4	2	2	30-09-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	1	1	1	-	Completed
Road Signage	Nos.	1,703	993	993	-	Completed
Rain Water Harvesting	Nos.	228	228	95	133	20-10-2017
Storm Water Drain	3-Lane km	114.00	114.00	62.50	51.50	30-09-2017
Electric Poles	No. of Poles	202	202	186	16	25-09-2017
B.C. In Service Road	km	57.14	1.01	1.01	-	Completed

Package-4

Ramp Plaza	Nos.	16	16	-	16	31-10-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	4	1	1	-	Completed
Road Signage	Nos.	2,625	2,010	1,934	76	31-10-2017
Rain Water Harvesting	Nos.	248	248	8	240	30-11-2017
Storm Water Drain	3-Lane km	124.00	122.80	17.62	105.18	30-11-2017
Electric Poles	No. of Poles	1,245	1,245	1,031	214	30-09-2017
B.C. In Service Road	km	59.14	8.14	7.45	0.69	Land Issue

Package-5

Toll Plaza	Nos.	1	1	-	1	43099
Ramp Plaza	Nos.	3	3	-	3	30-11-2017
Interchange (Loops & Ramps)	Nos.	3	2	-	2	31-10-2017
Road Signage	Nos.	1,870	949	649	300	30-10-2017
Rain Water Harvesting	Nos.	252	252	-	252	15-11-2017
Storm Water Drain	3-Lane km	78.28	78.28	-	78.28	15-11-2017
Electric Poles	No. of Poles	405	405	-	405	31-10-2017
B.C. In Service Road	km	76.40	74.40	48.70	25.70	Land Issue

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोलिंग, वे–साइड एमिनिटीज का संचालन, होर्डिंग लगाया जाना, ओ0एफ0सी0 व ए0टी0एम0एस0 की अद्यतन स्थिति

- उपरोक्त सभी कार्यों हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन हो गया है तथा मै0 कोडबेक इन्फ्रा के साथ दिनांक 11.09.2017 को अनुबन्ध गठित हो गया है।
- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोलिंग व्यवस्था हेतु जनवरी 2018 तक टोल कान्ट्रेक्टर का चयन कर टोल वसूली प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।
- वे–साइड एमिनिटीज, ऑप्टिकल फाइबर केबिल तथा एडवरटाइजमेंट एवं होर्डिंग के सम्बन्ध में ई0ओ0आई0 30 सितम्बर 2017 तक मंगा ली जाएगी एवं 04 माह में निविदाओं का निस्तारण कर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।
- एक्सप्रेसवे पर एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु माह अक्टूबर 2017 के अन्त तक निविदायें आमन्त्रित की जायेगी तथा निविदाओं को प्राप्त कर कार्य 30 दिन की अवधि में (जनवरी 2018 के अन्त तक) एवार्ड किया जाएगा। तत्पश्चात् 6 माह की अवधि में एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना एक्सप्रेसवे पर करा कर सिस्टम संचालित कर दिया जाएगा।

<u>ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु व्यवस्था</u>

- तात्कालिक रूप से ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु एक्सप्रेसवे पर 10 इनोवा वाहनों को 24 घण्टे पेट्रोलिंग करने हेतु तैनात किया गया है। प्रत्येक वाहन में 4 भूतपूर्व सैनिक 8 घण्टे के 3 शिफ्टों में, कुल 120 भूतपूर्व सैनिक की तैनाती इनोवा वाहनों पर कर दी गयी है। इनका दायित्व दुर्घटना की स्थिति में घायलों को मदद पहुँचाना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करना एवं एक्सप्रेसवे से आवारा व मृत पशुओं को हटाने का है।
- एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग को यूपीडा द्वारा 20 इनोवा तथा 4 इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- एक्सप्रेसवे के आर०ओ०डब्ल्यू० मे पुलिस विभाग की सहमति से चयनित कुल 21 स्थलों पर पुलिस चौकी का निर्माण यूपीडा द्वारा कराया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकी के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को दायित्व सौंपा गया है।
- एक्सप्रेसवे पर उपयुक्त स्थलों पर 10 बेड के ट्रॉमा सेण्टर के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

<u>कार्यवाही/निर्णयः</u>– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य एजेण्डा बिन्दु–1</u>

'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गीन फील्ड) परियोजना' की ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं/परिसम्पत्तियों {यथा–(1) एक्सप्रेसवे के मार्ग में भूमि उपलब्ध कराने के सापेक्ष ऑप्टिक फाइबर केबल की डक्ट डालने हेतु इच्छुक टेलीकॉम कम्पनियों से यूपीडा को अलग–अलग स्थान पर बिना शुल्क की बैण्ड विड्थ उपलब्ध कराने/किराये के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने (2) प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के किनारे सामान्य–जन सुविधाओं को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पर प्रचालन, रख–रखाव एवं हस्तान्तरण एवं (3) होर्डिंग हेतु स्थान को पट्टेदारी पर देने आदि} से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत अर्जन से सम्बन्धित प्रत्याशित निवेशकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स आदि से ''अभिरुचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रण हेतु आलेखों पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि मंत्रिमण्डल से परामर्शी की नियुक्ति हेतु अनुमति ली गई थी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परामर्शी की नियुक्ति कर ली गई है। चयनित परामर्शी ने कन्सलटेंट अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई है जिसका अनुमोदन किया जाएगा। जब अधिरूचि प्राप्त हो जाएगी तो आर0एफ0क्यू0 और आर0एफ0पी0 बन कर शासन के माध्यम से कैबिनेट को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विचारार्थ निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:–

औद्योगिक विकास (अनुभाग–3) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–1213/77–3– 17–2यूपीडा/12 दिनांक 27 जून 2017 में पूर्व में विषयगत कार्यों हेतु नियुक्त परामर्शी के चयन को रद्द करते हुए परियोजना की ऑक्जीलरी सुविधाओं/परिसम्पत्तियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत अर्जन से सम्बन्धित परामर्शी कार्य हेतु किसी उपयुक्त परामर्शी के चयन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ करने के निर्देशों के क्रम में यूपीडा द्वारा निविदायें जारी कर उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0 का चयन किया गया। मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0 द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यक अनुबन्ध दिनांक 11 सितम्बर 2017 को निष्पादित किया गया है।

1. उपरोक्त असाइनमेन्ट के क्रम में परामर्शी द्वारा प्रत्याशित निवेशकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स आदि से "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" (EOI) आमंत्रण हेतु सम्बन्धित आलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जिनमें मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(क) परामर्शी द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु शुल्क रु0 10,000/– रखा गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभी मात्र EOI आमंत्रित किये जा रहे हैं एवं बाद में आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0 के समय आवेदन शुल्क आदि का प्राविधान रखा जायेगा। अतः प्रस्तावित है कि EOI आमंत्रण के समय कोई भी शुल्क न रखा जाये।

(ख) अभिरुचि प्रपत्र में यह स्पष्ट इंगित किया गया है कि अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) स्टेज पर कोई शार्ट लिस्टिंग नही होगी।

(ग) अभिरुचि प्रपत्र में यह समुचित रूप से उल्लेखित किया गया है कि अभिरुचि की अभिव्यक्ति उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मार्केट इन्ट्रेस्ट, संभावित राजस्व उत्पत्ति एवं प्रत्याशित निवेशकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स आदि से प्रासंगिक सुझाव प्राप्त करने के लिए आंमत्रित हैं, जिससे कि परियोजना की संरचना (Project Structuring) इस तरह निर्धारित की जा सके कि वह यूपीडा एवं निवेशक/कान्ट्रैक्टर्स दोनो पक्षों के लिए फायदेमंद एवं व्यवहारिक हो।

(घ) अभिरुचि प्रपत्र में प्रत्याशित निवेशकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स हेतु पात्रता मापदण्ड, उनसे अपेक्षित "स्कोप ऑफ वर्क" एवं "प्रस्तावित बिजनेस मॉडल" सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी का यथावत् उल्लेख किया गया है, और विस्तृत जानकारी जैसे की पैकेजिंग, कॉन्ट्रैक्ट अवधि एवं भुगतान तंत्र आदि का "आर0एफ0पी0" स्टेज पर कम्पिटीटिव बिडिंग के दौरान बताये जाने का उल्लेख किया गया है।

(च) परामर्शी द्वारा प्रस्तावित ई0ओ0आई0 प्रपत्रों को यूपीडा की वेबसाइट के माध्यम से जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि अभी मात्र EOI आमंत्रित किये जा रहे हैं एवं बाद में आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0 के माध्यम से ई–पोर्टल पर बिडिंग करायी जायेगी। अतः EOIs को यूपीडा की वेबसाइट के माध्यम से जारी करना उचित होगा।

2. परामर्शी, मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0, द्वारा उपलब्ध कराये गये ई0ओ0आई0 प्रपत्र (ऑप्टिक फाइबर केबल की डक्ट डालने/बैण्ड विर्थ को सबलीज), (एक्सप्रेसवे के किनारे सामान्य–जन सुविधाओं को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पर प्रचालन, रख–रखाव एवं हस्तान्तरण), तथा (होर्डिंग हेतु स्थान को पट्टेदारी पर देने पर) उपरोक्त प्रस्तावों के साथ निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

3. उपर्लिखित अभिरुचि प्रपत्रों (EOIs) के निर्धारण हेतु 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उक्त तीनों कार्यों हेतु निर्धारित अभिरुचि प्रपत्रों (EOIs) को जारी करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल कृपया सैद्धांतिक सहमति प्रदान करना चाहे।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य एजेण्डा बिन्दुः–2

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना पर निर्धारित स्थानों पर पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 25.09.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमे इण्डियन ऑयल के चैयरमैन भी सम्मिलित हुये थे। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, उक्त पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गयाः–

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर चार स्थानों पर वे–साइड अमेनिटीज़ का प्राविधान किया गया है, जिनमें कार/बस/ट्रक पार्किंग, पार्क, व्यवसायिक क्षेत्र (दुकानें), ढाबा/रेस्टोरेन्ट, मोटल, वाहन रिपेयर दुकानों आदि के साथ पेट्रोल पम्प का भी प्राविधान किया गया है।

2– इन वे–साइड अमेनिटीज़ हेतु चार स्थानों (अ) चैनेज 101+200 ग्राम–मोहब्बतपुर, तहसील–करहल, जनपद–मैनपुरी, (ब) चैनेज 104+300 ग्राम–बरौली कला, तहसील–सैफई, जनपद–इटावा, (स) चैनेज 217+900 ग्राम–गुजेपुर, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर एवं (द) चैनेज 227+100 ग्राम–सिरधारपुर अहमानी, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव, पर 10–10 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था की गयी है।

3– उपर्लिखित चार स्थानों पर वे–साइड अमेनिटीज़ के संचालन एवं रख–रखाव हेतु एजेन्सियों के चयन के लिये कार्यवाही की जा रही है। इन वे–साइड अमेनिटीज़ में प्रस्तावित पेट्रोल पम्पस् की स्थापना हेतु पृथक से एजेन्सियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

4– उक्त चार स्थानों पर पेट्रोल पम्पस् की स्थापना हेतु सरकारी एवं निजी पेट्रोल कम्पनियों से कम्पटिटिव बिडिंग के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित कर कम्पनियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिये बिड पैरामीटर्स आदि का निर्धारण कर आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0 में सम्मिलित किया जायेगा।

5– प्रथम चरण में पेट्रोल पम्पस् के लिये कम्पनियों के चयन हेतु यूपीडा की वेबसाइट के माध्यम से ई0ओ0आई0 आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। ई0ओ0आई0 प्राप्त करने के उपरान्त बिडिंग हेतु आवश्यक बिडिंग अभिलेख तैयार कर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से बिड आमंत्रित की जायेगी।

6– उक्त ई0ओ0आई0 का आलेख 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त इच्छुक कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

7– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रथम चरण में पेट्रोल पम्पस् के लिये कम्पनियों के चयन हेतु यूपीडा की वेबसाइट के माध्यम से ई0ओ0आई0 आमंत्रित किये जाने हेतु यूपीडा निदेशक मण्डल कृपया सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य एजेण्डा बिन्दुः–3

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित यूपीडा के आदेश संख्या 1313/यूपीडा/08/16अधि0 दिनांक 24.11.2014 में आंशिक संशोधन करते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया अवगत कराया गया किः–

यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं0 1313/यूपीडा/08/16/अधि0 दिनांक 24.11.2014 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई थीः–

''यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर आये प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिवर्ष एक माह के वेतन की सीमा तक पंजीकृत चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कराये गये रूटीन चेकिंग एवं क्रय की गयी दवाइयों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं के द्वारा सत्यापन किये जाने के आधार पर की जा सकेगी।''

उपरोक्त आदेश संख्या 1313/यूपीडा/08/16/अधि0 दिनांक 24.11.2014 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित हैः–

''यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान समय-समय पर निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। नियमावली के अनुसार लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को बीजक के साथ सन्दर्भ पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचरों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र 'ए'/'बी' पर सम्बन्धित चिकित्सक/चिकित्सालय से प्रमाणित कराते हुये प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात इसका स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त होने के उपरान्त इसके भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।''

कार्यवाही/निर्णयः- प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृपया नोट शीट पृष्ट 319 से पृष्ट 348 पर स्थापित 33वीं निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, सहमति की दशा में अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष निदेशक मण्डल से अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।

26/9/17
(के०के० सिंह विसेन)
विशेष कार्याधिकारी

कृपया अनुमोदनार्थ

26/9/17

अनुमोदित

26.9.2017

अध्यक्ष

"यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान समय–समय पर निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। नियमावली के अनुसार लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को बीजक के साथ सन्दर्भ पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचरों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र 'ए'/'बी' पर सम्बन्धित चिकित्सक/चिकित्सालय से प्रमाणित कराते हुये प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात इसका स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त होने के उपरान्त इसके भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।"

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मेरे द्वारा, पत्रावली में दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को अनुमोदित किये गये है।

26/9/2017

(अवनीश कुमार अवस्थी)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।